

दि० 26.08.2023

अभियुक्त अर्जुन सिंह बुराठी द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। स्वीकृत। जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त को धारा-201, एम0वी0एक्ट में 100/-रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्त 01 दिन का साधारण कारावास भोगेगा। जुर्माना न्यायालय में जमा किया गया।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(जहां आरा अंसारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज
चम्पावत।